

कार्यपालिका

कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करता है। कार्यपालिका भी सरकार का महत्वपूर्ण अंग है। गिलक्राइस्ट के अनुसार "कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में पारित जनता की इच्छा को कार्य में परिणत करती है।" देश के प्रशासन में सम्मिलित सभी पदाधिकारी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिशास्त्र के अंतर्गत कार्यपालिका का अर्थ राज्य के प्रधान, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, विभागों के प्रधान आदि से लिया जाता है।

कार्यपालिका के प्रकार -

① राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका -

इस प्रकार की कार्यपालिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि और प्रशिक्षित स्थायी प्रशासक मिल-जुलकर काम करते हैं। इसमें से प्रथम को राजनीतिक कार्यकारी कहते हैं और द्वितीय को स्थायी कार्यकारी कहते हैं।

(2) नाममात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका -

नाममात्र की कार्यपालिका वह है जिसके हाथ में वास्तविक शक्तियां नहीं होतीं। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। जैसे इंग्लैंड का लार्ड नाममात्र की कार्यपालिका है जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका है।

(3) एकल और बहुल कार्यपालिका -

कार्यपालिका की पूरी शक्ति अंतिम रूप में एक ही व्यक्ति में निहित हो तो उसे एकल कार्यपालिका कहते हैं। जब कार्यपालिका की पूरी शक्ति एक व्यक्ति में निहित न होकर एक समिति में निहित हो तो उसे बहुल कार्यपालिका कहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का उदाहरण है जबकि ब्रिटेन संघीय पार्लियामेंट बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है।

(4) वंशानुगत एवं नियमित कार्यपालिका -

यदि राज्य का प्रमुख वंशानुगत होगा तो उसे वंशानुगत कार्यपालिका कहते हैं। यदि जनता द्वारा कार्यपालिका के प्रमुख का नियमित प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में चयन होता है तो उसे नियमित कार्यपालिका कहते हैं।